

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं. 03/EXAM/A.En.(Agriculture)/RPSC/ EP-I/2025-26

दिनांक : 17.07.2025

आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1980 के अन्तर्गत सहायक कृषि अभियंता (Assistant Agriculture Engineer) के 281 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पद एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) निम्नानुसार है :-

Name of Post	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV	GEN.	GEN.WE	WD	DV
Assistant Agriculture Engineer	281	71	20	8	2	32	9	4	0	24	7	3	0	42	12	4	1	10	3	1	0	20	6	2	0

Horizontal Reservation :- 1. Ex. Ser. - Gen./UR-5, SC-2, ST-1, OBC-2, MBC-0, EWS-1
2. P.H. - (i) B/LV-3 (ii) D. H.H.-3 (iii) LD/CP & Ors.-3, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D & Autism (b) Mul.Dis. - 3

Abbreviations Used: GEN - General, U.R. - Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST - Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC - More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD - Widow, DV - Divorcee, B/LV - Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Ors. - Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, LD - Intellectual disability, M.I. - Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis. - Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped.

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अर्न्तर्गत उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को परचातुर्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति परचातुर्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्न्तर्गत उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अर्न्तर्गतियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अर्न्तर्गतियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियाँ उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अर्न्तर्गतियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अर्न्तर्गतियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अर्न्तर्गतियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति परचातुर्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विधिवन् विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर बैरिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में घटित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अर्न्तर्गत जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलेन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियाँ खपत हो जायेगी।
- राजस्थान विधायन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहाँ किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैधमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैधमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोजित उस रिक्ति को निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अर्न्तर्गतियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।
टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होगे।"

शैक्षणिक योग्यता :-

(1) Degree in Agriculture Engineering of a University established by law in India.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

शैक्षणिक अर्हता : उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के संबंधी प्रावधान : लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

Note: 1. अर्न्तर्गतियों को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अर्न्तर्गतियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अर्न्तर्गतियों को कालान्तर में काउन्सिलिंग/पात्रता जाँच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।

पै-मैट्रिक्स लेवल

पै-मैट्रिक्स लेवल L-14

नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

आयु सीमा

दिनांक 01.01.2028 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।

नोट :- उक्त पदों पर आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 1998 में भर्ती की गई थी तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अर्न्तर्गतियों दिनांक 01.01.2025 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार की रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अर्न्तर्गतियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अर्न्तर्गती Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 वर्ष

	की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State	Ten Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorced Women Explanation: - That in the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorcee.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	मृतपूर्य कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	
6.	अन्य मृतपूर्य कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। That in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	
7.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिर्णित ऊपरी आयु सीमा में उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष अस्थायी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें वो अवसर दिये जायेंगे। That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	
9.	राजस्थान राज्य के कारोबार में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.	
10.	निर्मुक्त आपदा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेवा से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेवा में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
11.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	
12.	रिजर्विस्ट अर्थात् वायु सेवा कार्मिकों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था, के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। Provided that the upper age limit for the reservists, namely defence Service Personnel transferred to the reserve, shall be 50 years.	
13.	राजस्थान सिविल सेवा (मृतपूर्य सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अनुसार मृतपूर्य सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहाँ मृतपूर्य सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपस्थित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहाँ 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable.	
14.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निराश्रित व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निम्नगामी माने जायेंगे।		
नोट -		
1.	उपयुक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	उपयुक्त बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात्, बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।	
3.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आकाश के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) सिविलियन के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।	
4.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
5.	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होगा।	
अन्य विवरण		
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/नोडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति प्राधिकारी/शासन को अनुसूचित किए जायेंगे जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Multiple choice type question) के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक् से जारी किया जाएगा।	
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संकेत में यथासमक्ष सूचित किया जायेगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 28.07.2025 से दिनांक 28.08.2025 रात्रि 12:00 बजे तक।	
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम	

- का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <https://rpsec.rajabasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.rajabasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेन्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्चाज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
 - जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajabasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।
 - अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेन्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार /SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का वैधानिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंगे। यदि इसने कोई अंतर है तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।
- Note:** ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जाँच/परीख ले क्योंकि One Time Registration में सूचना स्वतः प्राप्त कर ली जाती है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि तथा फोटो को अपडेट कर ले ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जावेगा।
- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।
 - अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाँवें हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।
 - अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अवधि के दौरान की दिनांकित नवीन फोटो परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्र पर चस्पा करने हेतु साथ लेकर आवेंगे।
 - अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
 - अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टता एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।
 - आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
 - आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
 - आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य धुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर दियार सहित नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
 - राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से निम्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
 - अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे।
 - अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-समय पर अवलोकन करें क्योंकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती हैं। पृथक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
 - आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि/अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना आवश्यक है:-

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsec.rajabasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
 - आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन रेट्रिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते हैं।
- Note:** विविध विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा पारित विविध विवाह (DV) डिक्री जारी होने की स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेंगी।
- One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।
 - किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
 - सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
 - आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
 - आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तथ्य से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

एकवर्षीय पंजीवन शुल्क :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकवर्षीय पंजीवन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

- सामान्य (अनारक्षित)/पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी - रुपये 800/-
- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/अति पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमीलेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहजिया आदिम जाति) के अभ्यर्थी - रुपये 400/-
- दिव्यांगजन - रुपये 400/-

नोट :-

- राजस्थान राज्य से निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीवन शुल्क देना होगा।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी भी एस.एस.ओ. आईडी द्वारा लॉग इन कर वन टाईम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर उपयुक्तानुसार निर्धारित एकवर्षीय पंजीवन शुल्क जमा करवाएँ।

एकवर्षीय पंजीवन शुल्क जमा करने के पश्चात् परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 09.08.2025 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है:-

- (i) कोई अभ्यर्थी आयोग/पोर्टल व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो

- ऐसी स्थिति में अम्बथी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
- (ii) अम्बथी द्वारा शुल्क 750/- रुपये का भुगतान करने के पश्चात् ही एकबारीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को पुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
- (iii) एक बार O.T.R. पुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अम्बथी उसी वित्तीय वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
- (iv) पुनः प्रतिबन्धित O.T.R. को अम्बथी के द्वारा राशि रुपये 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओ.टी.आर. सुविधा पुनः चालू की जायेगी।
- टिप्पणी-यदि कोई आवेदक किसी कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहृतित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहृतित किये जाने पर इस परीक्षा में ओ.टी.आर. प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जायेगा।

विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अर्थात् व्यक्तियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूर्क समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- अम्बथी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी में नरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अनिवार्य यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अम्बथी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अम्बथी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
- ऐसे दिव्यांगजन अम्बथी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अर्थात् व्यक्तियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अम्बथी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व वैयक्तिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीन को प्रस्तुत करनी होगी।
- ऐसे दिव्यांगजन अम्बथी जो आयोग/केन्द्राधीन से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अर्थात् व्यक्तियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अम्बथी का वचन-पत्र केन्द्राधीन को प्रस्तुत करना होगा।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निशक्ता) की दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निशक्ता-Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अम्बथी द्वारा चाहने पर, दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अम्बथी एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र को आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूर्क समय प्रदान किया जायेगा।
- The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निशक्ता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूर्क समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अर्थात् व्यक्तियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूर्क समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूर्क समय देय नहीं होगा।
- श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

Scheme of Examination				
S.No.	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration
1.	Concerned Subject (as prescribed in qualification)	150	150	2 Hours & 30 Minutes
	Total	150	150	

Note:- The detailed Syllabus will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

- The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.
- There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.
- Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

उक्त पत्र हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अम्बथी Online Application Form में अपना यही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/सामाजिक इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी बदलने/बन्य होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अम्बथी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- अम्बथी यथासमय मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को सीधे भेजें।
- आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अम्बथी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अम्बथी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अम्बथी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवाये। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के परोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरने पर आयोग अम्बथी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से निम्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् श्रेणी में सुधार की सुविधा/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकमुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अम्बथी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अर्थात् व्यक्तियों को जो कि अपने संबंधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी। अम्बथी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जो कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का/तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अम्बथी की पात्रता को अनारक्षित/नूल वर्ग की शक्ति के विरुद्ध विचारित किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अम्बथी की होगी।
- आवेदक जिसके ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग

द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अधिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टिओं आयोग द्वारा सही मान ली गई है। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अर्थात् रूप से चुनने होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच मूल प्रलेखों अथवा फोटो प्रतियों से करते समय यदि अन्वर्थी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/वैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लेखित अन्य शर्तों के परिणामस्वरूप अन्वर्थी की अपात्रता ज्ञात होने पर इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अन्वर्थी की होगी।

- किसी भर्ती परीक्षा में अर्थात् रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्वर्थी को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भर जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अन्वर्थी की अन्यथा रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अन्वर्थी की होगी।
- माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B. Special Appeal Writ No. 1631/2017 आपीएससी बनाम प्रिवेंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने/त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अन्वर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग/विधवा हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परीक्षा/समीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार के अन्तिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार-कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा - विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निशक्ता प्रमाण-पत्र मय 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति स्वीकृत प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अन्वर्थी विधवा/दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रद्द/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।
- विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला अन्वर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा/विधिवन् विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाय माननीय न्यायालय में विचारधीन/लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अन्तिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक उक्त पद हेतु तनी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/ओ.एम.आर. पत्रक/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम सही अन्वर्थियों को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीन/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्य पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षाकक्ष में किसी प्रकार की शिकायत के होने की स्थिति में लिखित में शिकायत देने के स्थान पर परीक्षा में व्यवधान/हंगामा करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीन/अभिजागर जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परीक्षार्थी के विरुद्ध दिकार करने सहित राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी अन्वर्थी/परीक्षार्थी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेंसियों की किसी भी भर्ती/परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अमर व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अन्वर्थी ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विधवा/विधिवन् विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/वैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/समीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उसकी पात्रता की जाँच में दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

- कार्यिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्वर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किसी कारणों से अन्वर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अन्वर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती।

* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जायेगा। यदि किसी अन्वर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।

- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियाँ सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अन्वर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अन्वर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अभिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अभिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अन्वर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।

Note: विवाहित महिला आवेदक के लिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पति की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है।

- शैक्षणिक/प्रशिक्षण योग्यता/अनुभव आवेदन की अन्तिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित क्षेत्र श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता* (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी

राज्य के सख्त विकिरण अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निराशाता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो, राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (वधवा - विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, महात्मा पददान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

*नोट- निदेशालय विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

- भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सख्त प्राधिकारी से निराशेष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराशेष प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को स्थगित कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनुपस्थित प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से की जायेगी। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्ति समायोजित जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ध्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/चयनका देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसने राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। "कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवार् (भूतपूर्व सैनिकों का आगेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"
- शहसन के परिपत्र क्रमांक 46(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र को जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।
- ऐसा कोई भी अम्बथी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/संतानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्व प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संतान पैदा होती हैं, वहाँ बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निराशता हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अम्बथी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनिषद के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपबंध किसी विधवा एवं विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।
- आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को अनितन शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
- आवेदक को चयन उपरान्त आवरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक घारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचारधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
- आवेदक को चयन उपरान्त सख्त प्राधिकारी द्वारा जारी विकिरण जाँच सम्बन्धी विकिरण प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
- आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा केंद्रीय/राज्य/सरकारी उम्कमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनुपस्थित प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- अम्बथी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं करने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अम्बथी ऑनलाईन आवेदन-पत्र करने से पूर्व एकवारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र करें। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिगत/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अम्बथी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थायी रूप से चयनित अम्बथियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र से पूर्व में किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है, इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। अगर अम्बथी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अम्बथी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अम्बथी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :-

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-निर्वाचक/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अम्बथी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अम्बथी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकवारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समस्त-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpoc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं-0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(रामनिवास मेहता)
सचिव

क्रमांक: F. 8 A. (01)Exam/A.En.(Agriculture)/EP-I/2025-26/ 40

दिनांक : 17.07.2025

प्रतिलिपि :- उप राजसन सचिव, कृषि (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.3(17)कृषि-1/2024(06457) दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त सचिव